

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, सोमवार, शके 1947- जुलाई 14, 2025 Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(वृत्त चित्तौड़गढ़)

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पनुव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RAJKAJ 16226060 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा कपासन चौराहा से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर हाई लेवल ब्रिज चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी भूमि अवाप्ति की स्वीकृति श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक F.7(02)/A&F/Sec.II/2024-25/D-224 दिनांक 03.01.2025 द्वारा राशि रु. 5600.00 लाख की जारी की गई है। जिससे शहरी सड़क कार्य व हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाना है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान ग्राम इगला का खेड़ा, चित्तौड़गढ़ व किला तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ में भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम
1	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	इगला का खेड़ा
2	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
3	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	किला

परियोजना हेतु नियमानुसार समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अरबन सड़क एवं हाई लेवल ब्रिज निर्माण के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम इगला का खेड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं किला का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में सम्बन्धित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित नगर परिषद् के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकुश और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

eepwdchittor.2011@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

श्री नवीन कुमार अग्रवाल

मो. 9460115476

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

eepwdchittor.2011@rediffmail.com

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।